फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती रतन कूंवर बनाम विपक्षी : श्री नारायण

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 10/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 02.12.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी संख्या 12 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने पर विपक्षी संख्या 12 का जवाब का अवसर बंद किया जाता हैं। विपक्षी संख्या 14 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया के कथनानुसार मौजा आकोला पटवार हल्का आकोला तहसील कानोड कि साबिक आराजी न. 1552 रकबा 3 बिघा 4 बिस्वा में से 1 बिघा 7 बिस्वा भूमि, साबिक आराजी न. 1662 रकबा 7 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि, साबिक आराजी न. 1602 रकबा 2 बिघा 6 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि किता 3 रकबा 4 बिघा भूमि दिनांक 18.07.2005 को एवं साबिक आराजी न. 1563 रकबा 3 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि दिनांक 06.03.2007 को एवं साबिक आराजी न. 1561 रकबा 2 बिस्वा भूमि दिनांक 28.10.2005 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रार्थीया ने खरीदी एवं साबिक आराजी न. 1552 में से 1 बिघा 5 बिस्वा भूमि विपक्षी पुष्पा देवी ने खरीदी और पुष्पा देवी से प्रार्थीया ने दिनांक 28.10.2005 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 1 बिघा 5 बिस्वा भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। नवीन सेटलमेंट के बाद साबिक आराजी न. 1552 के नवीन खसरा न. 3030, 3034 किता 2 रकबा 0.7000 है. भूमि विपक्षी पुष्पा बाई के नाम गलत अंकित कर दी जबकि इस भूमि में से 5616/7000 हिस्सा प्रार्थीया के नाम एवं 1384/7000 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 लगायत 11 के नाम अंकित करना चाहिये था एवं साबिक आराजी न. 1562 के नवीन खसरा न. 3019 रकबा 0.0600 है. विपक्षी राज कुंवर गलत अंकित कर दी जबकि यह भूमि प्रार्थीया के नाम एवं साबिक आराजी न. 1602 रकबा 2 बिघा 6 बिस्वा के नवीन खसरा न. 3243 रकबा 0.4900 है. विपक्षी राजकुंवर के नाम गलत अंकित कर दी जबकि यह भूमि प्रार्थीया के नाम एवं साबिक खसरा न. 1563 रकबा 3 बिस्वा के नवीन खसरा न. 3021 रकबा 0.0300 है. भूमि विपक्षी गंगा, नारायण, नानालाल, प्रेमलाल, रामेश्वरी एवं लाली के नाम गलत अंकित कर दी जबकि यह भूमि भी प्रार्थीया के नाम एवं साबिक आराजी न. 1561 रकबा 2 बिस्वा भूमि के नवीन खसरा न. 3020 रकबा 0.0500 है. विपक्षी गंगा, नारायण, नानालाल, प्रेमलाल, रामेश्वरी एवं लाली के नाम गलत अंकित कर दी जबकि यह भूमि प्रार्थीया के नाम अंकित किये जानी चाहिये थी। प्रार्थीया के कथनानुसार रेकर्ड में गलत अंकन होने से विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि को [illegible] करने व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 13:50:57 IST
Reason: SelfAttested

जिससे प्रकरण में विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 11, 13, 14 द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 12 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस की गई।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो विक्रय पत्र की प्रति से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में प्रतित होता है। प्रकरण में प्रार्थीया का हित निहीत होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है। अन्य बिन्दुओं को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर ही तय किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुंविधा संतुलन का विन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों विन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा आकोला पटवार हल्का आकोला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 133 की आराजी नम्बर 3030, 3034 किता 2 रकबा 0.7000 है. भूमि, खाता संख्या नया 312 की आराजी न. 3019, 3243 कुल रकबा 0.5500 है. भूमि, खाता संख्या नया 166 की आराजी न. 3020, 3021 किता 2 रकबा 0.0800 है. भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 13:50:57 IST
Reason: SelfAttested